

व्यवहार वाद हेतु

नेशनल ई-लोक अदालत समझौतानामा

लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक..... दिनांक.....

- 1/ व्यवहार वाद क्रमांक :
- 2/ पक्षकारों के नाम :
- 3/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :
- 4/ सुलहनामा की शर्तें :

वादी के अधि० के हस्ता०

प्रतिवादी 1 के हस्ता०

वादी के अधि० के हस्ता०

प्रतिवादी के हस्ताक्षर

यह कि हम पक्षकारगण विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफेंसिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं।

अतः निवेदन है कि उभयपक्ष के बीच इस प्रकरण में आपसी समझौता हो जाने के कारण अब प्रकरण को समाप्त कर दिया जावे।

आवेदक का मोबाईल नं०.....
आवेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी
अनावेदक का मोबाईल नं०.....
अनावेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी

// आदेश //

(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवार्ड/आदेश)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

हस्ताक्षर सदस्यगण :-

सदस्य क्रमांक-1.....

सदस्य क्रमांक 2.....

हस्ताक्षर-

(पीठासीन अधिकारी)

HJS
Bench 1
Link 1

HJS
Bench 2
Link 2

LJS
Bench 4
Link 4

LJS
Bench 5
Link 5

IJS
Bench 6
Link 6

LJS
Bench 7
Link 7

LJS
Bench 8
Link 8

LJS
Bench 9
Link 9

(To be filled by competent authority)

विशेष ई-लोक अदालत

लोक अदालत खण्ड पीठ क्रमांक - 1

न्यायालय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

1.

2.

3.

आवेदकगण

// विरुद्ध //

1.

2.

3.

अनावेदकगण

मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक

राजीनामा आवेदन-पत्र

आवेदक/आवेदकगण ने इस प्रकरण की दुर्घटना में श्रीकी मृत्यु/आहत होने यावत् रूपयेकी क्षतिपूर्ति धन पाने हेतु यह आवेदन, अनावेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया होकर लम्बित है।

इस प्रकरण में आवेदक/आवेदकगण ने अनावेदक क्रमांकसे स्वेच्छापूर्वक राजीनामा कर लिया है। जिसकी शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 1/ अनावेदक क्रमांकआवेदक क्रमांकको क्षतिपूर्ति धन की रकम रूपयेअक्षरीअदा करेंगे, जिसमें वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क भी सम्मिलित हैं।
- 2/ अनावेदक अर्वाइ की राशि आज दिनांक से 60 दिन की अवधि में न्यायालय में जमा करावेंगे अन्यथा क्षतिपूर्ति राशि पर आज दिनांक से अदायगी दिनांक तकप्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण व्याज देय होगा।
- 3/ आवेदक/आवेदकगण अन्य अनावेदकगण से कोई सहायता नहीं चाहते हैं। अतः उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जावे।

4/ यह कि हम पक्षकारगण के द्वारा विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजीनामा किए जाने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

आवेदक हस्ताक्षर
आवेदक/गण अधिवक्ता या उसे पहचाने वाले के हस्ताक्षर

आवेदक का मोबाईल नं०.....

आवेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी

अनावेदक/गण का मोबाईल नं०.....

अनावेदक/गण के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी

स्थान-

दिनांक-

टीप: विशेष ई लोक अदालत में जुड़ने हेतु लिंक की जानकारी जिला न्यायालय की वेबसाईट से, अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस से अथवा जिले में पदरथ टेक्निकल स्टॉफ से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में विशेष ई-लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों के पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण का वाट्स-अप ग्रुप बनाकर भी उसमें लिंक की जानकारी प्रेषित की सकती है।

विशेष ई-लोक अदालत समझौतानामा

लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक.....दिनांक.....

1. पक्षकारों के नाम.....

2. प्रकरण क्रमांक.....

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण.....

4. सुलहनामों की शर्तें : उभय पक्ष ने बिना किसी जोर दबाव के राजीनामा कर लिया है तथा उनके मध्य मधुर संबंध है, वे आपस में प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। इस बाबत पक्षकारों से व्ही. सी. के माध्यम से सहमति ली गई है।

5. अवार्ड.....

सदस्य

सदस्य

पीठासीन अधिकारी